| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>**गोविन्दकरण बनाम लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर (भू.अ.), जोधपुर)**<br>सू.अ.अपील संख्या 235/2023 | न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16/10/23 | अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण राठौड़निवासी 79, हनवन्त बी, सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलोनी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28/07/23 में प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र क्रमांक 21 दिनांक 17.03.23 को आपके कार्यालय में गांव झंवर के खसरा न. 1803/2 के नक्शे पर तरमीम किस अधिकारी ने कब की, की जांच हेतु प्रस्तुत किया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र आदिनांक तक की गई कार्यवाही की फोटोप्रति से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर (भू.अ.), जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर (भू.अ.), जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर (भू.अ.), जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर (भू.अ.), जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>(हिमान्शु गुप्ता)<br>जिला कलक्टर जोधपुर<br>जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.) | |